	मु .नं. 10 / 2020
24.09.024	पत्रावली पेश। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा जैलातरा पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 764 रकबा 2.46 हैक्टयर भूमि कब्जा सुदा आई हुई है। जिस पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी कब्जा सुदा भूमि आई हुई है। सांवलाराम के फोत होने पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी विधिक वारिसान है मगर अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी को बिना बंटवाड़ा कराये अनजबी व्यक्ति को बैचान पर उतारू है। जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी, ऐसी सूरत में अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावें। हमनें वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व को अन्तिम रूप से मूल वाद ताफैसला तक पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निशेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जाती है कि मौजा जैलातरा पटवार हल्का पमाणा तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 764 रकबा 2.46 हैक्टयर भूमि में अप्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.09.27 16:51:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner